निर्णय

(आज दिनांक 13.8.26 को घोषित)

01– आबकारी वृत्त रतलाम (ब) के परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त दिनेश [illegible] के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है।

02– अभियुक्त को उक्त आरोप समरी शीट पर विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया, अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1) (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दोषसिद्ध पाया गया है।

03– अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। उसका यह प्रथम अपराध है। अतः परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास एवं 800/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड *की राशि की अदायगी के व्यतिकम में अभियुक्त को 5 दिवस के साधारण* कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जाएगी।

04– प्रकरण में जप्त शराब 12 पाव देशी अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार जप्त शराब का व्ययन किया जावे।

05– निर्णय की निशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की गयी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

Ravina

रविना चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रतलाम, जिला रतलाम म0प्र0

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

Ravina

रविना चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रतलाम, जिला रतलाम म0प्र0